Title: Regarding multiple transfers policy of DDA for Group Housing Societies.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): दिल्ली विकास प्राधिकरण का ग्रुप हाउसिंग विभाग में आम आदमियों को फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख लेने के लिए इस कार्यालय के सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं तब भी उन्हें फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख नहीं मिल पाता जो उनका मौलिक अधिकार है। सप्ताह में केवल दो ही दिन सोमवार और बृहस्पतिवार जनता दरबार लगता है। कभी-कभी तो पिता जी का फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख उसके पुत्र को लेना पड़ा है। इस कार्यालय में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है । बिना घूस दिए एक भी काम नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही बढ़ाने वाले नियम आम जनता के हित में बदले जाएं। दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल नियामक संस्था जैसा व्यवहार करे मालिकाना संस्था जैसा नहीं और सोसाइटी फ्लैटधारियों के उत्पीड़न को रोके। इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग विभाग के वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए एवं उनके स्थान पर ईमानदार, युवा, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। मैं इस सदन के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ही तरह के एक प्रकार वाले फ्लैट के एक से ज्यादा अदला-बदली को फ्रीहोल्ड हक हस्तांतरण विलेख जारी करते हुए अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करे ताकि लाखों लोगों को घर मिल सके, न्याय मिल सके और वे सुखी रह सकें। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान में कम से कम एक मकान तो मिल सके।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Kaushalendra Kumar is saying.

(Interruptions) â€¦ *

MADAM SPEAKER: Shri Bhoopendra Singh -- absent.

Shri Om Prakash Yadav

...(*Interruptions*)